

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

जनपद

आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in



पत्र संख्या- 1670/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-10.05.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 10.05.2025 को थाना फूलपुर पुलिस, स्वाट व सर्विलांस की टीम द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए अन्तर्जनपदीय 01 लूटेरा अभियुक्त सत्यम राजभर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट की धनराशि 31,150/- रूपयें व अवैध असलहा व कारतूस बरामद किया गया।

थाना- फूलपुर

लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए अन्तर्जनपदीय 01 लूटेरा गिरफ्तार।

लूट की धनराशि 31150/- रुपया नगद व एक अदद तंमचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 15-04-2025 को वादी मुकदमा धर्मेन्द्र कुमार आर्य पुत्र स्व0 रुपचन्द राम ग्राम सैदपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी कि दिनांक 15.04.2025 को समय 12 बजे से 12.15 के बीच वादी अपनी पत्नी के साथ पलिया बाजार बैंक बडौदा यू0पी0 ग्रामिण से एक लाख रुपये निकालकर स्कूटी से घर जा रहा था कि खन्जहाँपुर से सैदपुर रोड पर थोड़ी दूर बढ़ा था कि पीछे की तरफ से एक मोटर साइकिल पर सवार दो अज्ञात व्यक्ति किसी चीज से मेरी पत्नी के सिर पर मार दिये मेरी गाड़ी लड़खड़ा कर गिर गया और पत्नी के पहने हुए गले की सोने की चेन पर्स छीन लिये, जिसमे बैंक से निकाला हुआ एक लाख रुपया, एक मोबाइल vivo कम्पनी जिसमें जियो सिम 6393xxxxxx, 945355xxxx का लगा तथा पासबुक स्कूल की चाभी थी लेकर चले गये, के सम्बन्ध में थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0 196/25 धारा 309(6) भादवि बनाम मोटर साईकिल पर सवार दो बदमाश नाम पता अज्ञात के पंजीकृत होकर विवेचना व030नि0 गंगाराम विन्द द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन व क्षेत्राधिकारी फूलपुर अनिल वर्मा के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 10.05.2025 को थानाध्यक्ष सच्चिदानन्द मय हमराह को सूचना मिली कि दिनांक 15.04.2025 को खानजहाँपुर मे लूट करने वाले दोनो अपराधी काले रंग की विना नम्बर प्लेट की मोटर सायकिल से शाहगंज जनपद जौनपुर की तरफ से कटार होते हुये बिलारमऊ की तरफ आ रहे है, जो रात में ट्रेन व बस से उतरकर देहात क्षेत्र में जाने वाले लोगों के साथ छिनैती करने की फिराक में हैं, जिनके पास अवैध तंमचा व कारतूस भी है। इस सूचना पर बिलारमऊ से कटार जाने वाले मार्ग पर भट्टे के पास से समय सुबह 3.45 बजे अभियुक्त सत्यम राजभर पुत्र भारत राजभर निवासी ग्राम उर्नुखा थाना अखण्डनगर जनपद सुल्तानपुर उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा नियमानुसार गिरफ्तार कर चालान माननीय न्या0 किया गया तथा अभि0 दिपांकल तिवारी पुत्र सुनील तिवारी निवासी चौबहा थाना सरपतहाँ जनपद जौनपुर मौके से फरार हो गया।

अपराध का तरीका/पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 15.04.2025 को दोपहर के समय मैं तथा दिपांकल शाहगंज से अम्बारी की तरफ आ रहे थे तो देखा कि एक स्कुटी सवार व्यक्ति एक महिला को पीछे बैठाकर शाहगंज की तरफ जा रहा था महिला गले में सोने की चैन पहनी थी कि हम लोग अपनी गाड़ी मुड़ाकर गले का चैन छिनने के लिये उसका पीछा कर लिये मैं दिपांकल तिवारी की काले रंग की मोटरसाइकिल हेलमेट लगाकर चला रहा था और दिपांकल तिवारी पीछे बैठा था हम लोगो के पास असलहा व कारतूस था, खानजहाँपुर से वह व्यक्ति गाँव की तरफ मुड़ गया, हम लोग भी पीछे लगे रहे, सूनसान स्थान देखकर दिपांकल तिवारी ने चलती हुई गाडी से महिला के गले का चैन खिच लिया, जिससे महिला स्कुटी से नीचे गिर गयी। मैं गाड़ी पर बैठा था, दिपांकल तिवारी ने महिला का चैन व उसका लेडिज पर्स छिन लिया तथा महिला के विरोध करने पर उसके सिर पर कट्टे के मुठिया से मार दिया, इसके बाद मैं तथा दिपांकल तिवारी गाडी मोड़कर शाहगंज की तरफ भाग गये। छिने गये पर्स में हम लोगो को एक लाख रुपया नगद तथा बैक के कागज व एक मोबाइल फोन मिला था। मोबाइल व पर्स को दिपांकल ने रास्ते में ही फेंक दिया। इसके बाद हम लोग दिपांकल के घर चौबहा गये। दिपांकल ने एक लाख रुपये में से चालीस हजार रुपया मुझे दिया तथा चैन के बिक्री के बाद पैसा देने के लिये बताये। मेरे पास से जो पैसा बरामद हुआ है उसमें 25650 रुपया/- खानजहाँपुर में किये गये लूट का है तथा शेष रुपया खर्च हो गया तथा **मार्च 2025** में हम दोनो ने मिलकर थाना बक्सा जनपद जौनपुर में रात्रि लगभग 21.00 बजे नौपेडवा हाइवे मई मोड़के पास एक मो0सा0 सवार वह भी पति पत्नी थे से हम लोगो ने चैन व बैग झपट्टा मारकर छिन लिये थे, बैग, मोबाइल, कागज रास्ते में ही कहीं फेंक दिये। बैग से 5000/- रुपया नगद तथा दिपांकल तिवारी ने कही 20000/- रुपये में चैन को बेचा था कुल 25000/- रुपये में से मुझे 12000/- रुपया हिस्सा मिला था मेरे पास से जो रुपया बरामद हुआ है उसमें 5500/- रुपया थाना बक्सा जनपद जौनपुर का है तथा शेष रुपया खर्च हो गया, आज हम दोनो किसी यात्री को लूटने के फिराक में आ रहे थे कि आप लोगो ने मुझे पकड़ लिया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 196/2025 धारा 309(6)/317(2)बीएनएस थाना फूलपुर आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 231/2025 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना फूलपुर आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1-सत्यम राजभर पुत्र भारत राजभर निवासी ग्राम उर्नुखा थाना अखण्डनगर जनपद सुल्तानपुर उम्र करीब 20 वर्ष

फरार अभियुक्त -

- 1- दिपांकल तिवारी पुत्र सुनील तिवारी निवासी चौबहा थाना सरपतहाँ जनपद जौनपुर

आपराधिक इतिहास-

1- सत्यम राजभर पुत्र भारत राजभर निवासी ग्राम उर्नुखा थाना अखण्डनगर जनपद सुल्तानपुर उम्र करीब 20 वर्ष

1. मु0अ0सं0 196/2025 धारा 309(6)/317(2)बीएनएस थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 231/2025 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 88/25 धारा 304(2) बीएनएस थाना बक्सा जनपद जौनपुर

2- दिपांकल तिवारी पुत्र सुनील तिवारी निवासी चौबहा थाना सरपतहाँ जनपद जौनपुर

- 1 मु0अ0सं0 158/2022 धारा 379/411 भादवि0 थाना सरपतहाँ जौनपुर
2. मु0अ0सं0 189/2022 धारा 307 भादवि0 थाना सरपतहाँ जौनपुर
3. मु0अ0सं0 206/2022 धारा 307/394/411 भादवि0 थाना दोस्तपुर सुल्तानपुर
4. मु0अ0सं0 231/2022 धारा 34/307/115/411 भादवि0 थाना दोस्तपुर सुल्तानपुर
5. मु0अ0सं0 238/2022 धारा 25/9 शस्त्र अधि0 थाना दोस्तपुर सुल्तानपुर
6. मु0अ0सं0 653/24 धारा 310(2)/317(3) बीएनएस थाना अकबरपुर अम्बेडकरनगर
7. मु0अ0सं0 196/2025 धारा 309(6)/317(2)बीएनएस थाना फूलपुर
8. मु0अ0सं0 88/25 धारा 304(2) बीएनएस थाना बक्सा जनपद जौनपुर

बरामदगी-

1. लूट की धनराशि 31150/- रुपया नगद
2. एक अदद तंमचा 315 बोर
3. 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
4. एक अदद मोबाइल टेक्नो कम्पनी का

गिरफ्तार करने वाली टीम

<u>थाना फूलपुर</u>	<u>स्वाट टीम</u>	<u>सर्विलांस टीम</u>
<ol style="list-style-type: none">1. थानाध्यक्ष सच्चिदानन्द2. उ०नि० अजीज खान3. उ०नि० रज्जन द्विवेदी4. हे०का० अवधेश यादव5. व०उ०नि० गंगा राम विन्द	<ol style="list-style-type: none">1. निरीक्षक नन्द कुमार तिवारी2. उ०नि० मनीष पाल3. उ०नि० संजय सिंह4. उ०नि० सुनील तिवारी5. उ०नि० शाबान,6. कांस्टेबल अरुण पांडेय,7. कांस्टेबल मुकेश यादव	<ol style="list-style-type: none">1. उ०नि० अतुल मिश्रा2. हे०का० चन्द्रमा मिश्रा

